# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

**पीठासीन अधिकारीः—करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 390/2022**
**आरसीएमएस नं. 2022/00390**

लीलाधर पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**—अपीलांट**

**बनाम**

1. विनोद पुत्र राजेन्द्र
2. राजेन्द्र पुत्र आदराम
3. बलवन्त पुत्र राजेन्द्र

} जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

4. गुड्डी पुत्री आदराम
5. शान्ति पत्नी आदराम
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

**— रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2022 एवं संशोधित पर्चा डिक्री दिनांक 04.08.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 559/2022 अनवान विनोद बनाम राजेन्द्र आदि

**उपस्थितिः—**
श्री हवासिंह पूनिया, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 6

निर्णय दिनांक 23.02.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता सं0 81/78 की कुल तादादी 10.889 है0 भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं0 14/15 की कुल 8.5775 है0 भूमि को पैतृक भूमि होने एवं उसमें अपना हक हिस्सा होने का कथन करते

Lonio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

हुए वादपत्र में वर्णितानुसार खातेदार कातकार घोषित करने का अनुतोष मांगा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा वाद को स्वीकार करने एवं इकबाल पेश करने तथा वाद के संबंध में कोई एतराज ना होने के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्रों के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजेन्द्र पुत्र आदराम के वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के अलावा एक लड़का लीलाधर अपीलाण्ट ओर है जिसको दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही उसकी बाबत दावा में कोई तथ्य दर्ज किये हैं उसका भी विवादित भूमि में हक हिस्सा है जिसकी बाबत मातहत अदालत ने कोई गोर नहीं किया ना ही किसी स्वतन्त्र गवाह के बयान लिये गये सिफ वादी के कहे अनुसार निर्णय किया है ,जो किसी भी तरीके से चलने योगय नहीं है। दावा में प्रतिवादी नं 1 ता 3 के खिलाफ इस्तदुआ है दावा में दर्ज सजरा खानदान से भी यही स्पष्ट होता है एवं फर्द अहकाम दिनांक 0.07.2022 में भी प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के वकील उपस्थित होना दर्ज किया है सभी तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि दावा प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के खिलाफ पेश हुआ है उसी के मुताबिक डिक्री किया गया है। इसके बाद प्रतिवादी सं0 4 का नाम दावा में दर्ज किया गया है जबकि दावा में प्रतिवादी नं. 4 के खिलाफ कोई इस्तदुआ नही है। इकबाल जवाब में भी प्रतिवादीया नं0 4 का नाम बाद में दर्ज किया जाना साबित है इसके बाद वादी ने प्रार्थना–पत्र बाबत प्रतिवादी नं. 1 ता 4 का राजीनामा होना पेश किया है जिसमें प्रतिवादी नं. 3 व 4 का नाम कलमजन करने व हिस्सा किसी–कसी दुरूस्त करने बाबत इस्तदुआ चाही है जिस पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर हैं लेकिन तारीख दर्ज नहीं है जिससे साजिसाना कार्यवाही स्पष्ट होती है इसके बाद मातहत अदालत द्वारा बिना किसी निर्णय के दिनांक 04.08.2022 को संशोधित पर्चा डिक्री जारी की जाती है जबकि संशोधित डिक्री जारी करने के लिए प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.08.2022 को पेश किया जाता है। वाद को संशाधन करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उपरोक्त सभी कार्यवाहियों से यही स्पष्ट है कि मातहत अदालत ने सारी कार्यवाही साजीसाना तरीके से सिर्फ वादी के कहे अनुसार कानूनी प्रक्रिया को नजर अन्दाज कर अपीलाण्ट को उसके हक व हिस्सा से महरूम रखने के लिए की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने अपीलाण्ट को उसके हक व हिस्सा से महरूम रखने के उद्देश्य से सारी कार्यवाही की है जबकि मातहत अदालत ने जो घोषणा वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 के नाम विवादित भूमि दर्ज करने की की है उसमें अपीलाण्ट ब.हि.ब. का हकदार है। वादी ने प्रतिवादी नं. 3 व 4 के इकबाल जवाब व वकालतनामा पर तीनों भाईयों के नाम भूमि दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करवाने बाबत कहकर अंगूठा लगवाये थे लेकिन दावा के तथ्य प्रतिवादी नं. 3 व 4 की इच्छा के विरूद्ध है इसके साथ विश्वासघात हुआ है। अपीलाण्ट प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार है जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया कानूनन प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है जो नहीं दिया है। अपीलाण्ट पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे। अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय सभी पक्षों के इकबालदावा के आधार पर पारित किया गया है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। अपीलाण्ट आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। इसलिए उसे पक्षकार नही बनाया गया। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. पत्रावली में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी नं. 1 राजेन्द्र के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है जो पैतृक एवं जद्दी जायदाद है। प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र पुत्र. आदराम के वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के अलावा अपीलाट लीलाधर भी एक लड़का है जिसको दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही उसकी बाबत दावा में कोई तथ्य दर्ज किये हैं। प्रश्नगत भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण अपीलाण्ट का भी विवादित भूमि में हक हिस्सा है जिस पर कोई गौर नहीं किया गया है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में हक हिस्सा होने के कारण वह एक आवश्यक पक्षकार है अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के कारण वह अपने हक व हिस्सा से वंचित हेा गया है इसलिए अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है जिसे वाद में पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निणय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है जो किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोकत विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2022 एवं सवशोधित डिक्री दिनांक 04.08.2022 निरस्त किये जाते हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner